हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

कल्याण समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(2017-2018)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ।

कल्याण समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन(बारहवीं विधान सभा)(2015-16) पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित।

षष्टम कार्रवाई प्रतिवेदन

(दिनांक 15-03-2018 को सदन में उपस्थापित किया गया)

विषय सूची

क्र0	विषय	पृष्ठ
1.	समिति का गठन	(ii)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	1 - 19
	अध्याय-I	1 - 12
	अध्याय-II	13
	अनुबन्ध 'क' 'ख' 'ग' व घ	14 - 19

समिति की गठन

सभापतिः

1. **श्री सुख राम**

सदस्यः

2. डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल
3. श्री विनय कुमार
4. श्री नन्द लाल
5. श्री किशोरी लाल
6. श्री सुरेश कुमार कश्यप
7. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
8. श्रीमती रीता देवी
9. श्री रविन्द्र कुमार
10. श्री इन्द्र सिंह
11. श्रीमती कमलेश कुमारी

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

1. **श्री सुन्दर सिंह वर्मा : सचिव**
2. **श्रीमती नीलम लोहिया : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी**

प्रस्तावना

मैं, सभापति, कल्याण समिति (तेरहवीं विधान सभा)(2017-18) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से 25वें मूल प्रतिवेदन (2016-2017) (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित षष्टम कार्रवाई प्रतिवेदन को सदन में उपस्थापित करता हूँ।

कल्याण समिति का गठन हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 (नवम् संस्करण) के नियम 209 और 211 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 2017-2018 के लिए अधिसूचना संख्याः वि0स0 विधायन-समिति गठन/1-14/2018 के द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2018 को किया गया।

समिति ने इस प्रतिवेदन को दिनांक 21-02-2018 की आयोजित बैठक में विचारोंपरान्त अपनाया तथा सभापति महोदय को इसे सदन में उपस्थापित करने हेतु प्राधिकृत किया।

समिति, सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), विभाग का आभार प्रकट करती है जिन्होंने समिति को लिखित सूचना उपलब्ध करवाई।

समिति, सचिव, विधान सभा तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का आभार प्रकट करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूप-रेखा तैयार करने में समिति को सहयोग दिया।

(सुख राम)
सभापति,
कल्याण समिति।

दिनांकः
शिमला-171004.

प्रतिवेदन

कल्याण समिति का 25वाँ प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(2016-17) जोकि मांग सं0:19 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास हेतु अनुदान मांगों पर आधारित था। दिनांक 31-03-2016 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन में कुल 12 सिफारिशें की गई थी जिनके उत्तर विभाग द्वारा दिनांक 07 जून, 2017 को उपलब्ध करवाए गए। समिति ने दिनांक 05 सितम्बर, 2017 की आयोजित बैठक में विचार-विमर्श किया और विचारोंपरान्त सिफारिश संख्याः 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 तथा 13 पर संतुष्टि व्यक्त की तथा सिफारिश संख्याः 7 पर पुनः सिफारिश की। यह प्रतिवेदन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई लिखित सूचनाओं पर आधारित है, जिनका विवरण अध्याय-I तथा अध्याय-II के रूप में किया गया है।

अध्याय - I

1. **मूल सिफारिश संख्या -2**

मुख्य शीर्षः 2235-02-102-05-सी90एन(प्लान)-आई0सी0डी0एस0:
2235-02-102-05-एस10एन(प्लान)-आई0सी0डी0एस0:
2235-02-102-05-एस25एन(प्लान)-आई0सी0डी0एस0:

समिति सिफारिश करती है कि विभाग स्पष्ट रूप से विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाए कि किस शीर्ष से आई0सी0डी0एस0 में की गई कटौती की भरपाई की गई थी ?

विभाग ने समिति को लिखित उत्तर द्वारा सूचित किया कि मांग संख्याः19 के अतिरिक्त आई0सी0डी0एस0 योजना के क्रियान्वयन हेतु मांग संख्याः32 में भी निम्न लेखाशीर्षों में राशि आबंटित एवं व्यय की गई थीः-

(रूपए लाखों में)

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	लेखाशीर्ष	योजना	गैर योजना	कुल	वास्तविक व्यय
1	2013-14	2235-02-789-01- एस 10 एन	208.47	---	208.47	208.47
2	2014-15	2235-02-789-01-एस 10 एन और 2235-02-789-01 सी 90 एन	3561.96	---	3561.96	3561.96
3	2015-16 (31.03.2016 तक)	2235-02-789-01-एस 10 एन और 2235-02-789-01 सी 90 एन	3870.70	---	3870.70	3793.49

अतः मांग संख्याः19 में कम बजट/व्यय की भरपाई मांग संख्याः32 से उपरोक्त विवरणनुसार पूरी की गई।

समिति ने प्राप्त विभागीय उत्तर के अवलोकनोंपरान्त कृत कार्रवाई पर सन्तुष्टि व्यक्त की।

2. <u>मूल सिफारिश संख्या -3</u>

मुख्य शीर्षः 2235-02-103-01-सून(प्लान)-महिला कल्याण योजनाएं/राज्यः

समिति सिफारिश करती है कि विभाग ऐसे मामलों का प्राथमकिता के आधार पर निपटारा करना सुनिश्चित करे व शेष राशि के व्यय सम्बन्धी सूचना से भी समिति को अवगत करवाए।

विभाग ने लिखित उत्तर द्वारा सूचित किया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत लम्बित 284 मामलों में प्रशासनिक अनुमोदन होने के उपरान्त मु0 71.00 लाख रूपए धनराशि का भुगतान सम्बन्धित लाभार्थियों को 31.03.2016 से पूर्व किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजना के अन्तर्गत मु0 520.37 लाख रूपए की धनराशि व्यय की गई है तथा 2085 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त समस्त मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाता है।

समिति ने प्राप्त विभागीय उत्तर के अवलोकनोंपरान्त कृत कार्रवाई पर सन्तुष्टि व्यक्त की।

3. <u>मूल सिफारिश संख्या - 4</u>

मुख्य शीर्षः 2236-02-101-05-सी90एन-विशेष पोषाहार कार्यक्रमः

समिति सिफारिश करती है कि बजट के आंकड़े उपलब्ध करवाते समय कोताही किस स्तर पर हुई, कार्रवाई अमल में लाई जाए । इसके अतिरिक्त 31.3.2016 तक कुल कितने लाभार्थी इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें पोषाहार के रूप में जो आहार दिया जा रहा है, इसमें क्या-क्या सम्मिलित है, विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

विभाग ने लिखित उत्तर द्वारा सूचित किया कि दिनांक 31.03.2016 तक जितने लाभार्थियों को पोषाहार उपलब्ध करवाया गया है, उनका विवरण निम्न हैः-

क्र0 सं0	ज़िला	बच्चे (6 मास से 3 वर्ष)	बच्चे (3 मास से 6 वर्ष)	अति कुपोषित बच्चे	गर्भवती/ धात्री माताएं	बी0पी0एल0 किशोरियां
1	बिलासपुर	15156	10511	7	6068	3812
2	चम्बा	25611	23325	26	9928	12415
3	हमीरपुर	16191	6654	39	6814	4182
4	कांगड़ा	56044	36123	205	21579	13675
5	किन्नौर	2927	2566	2	913	542
6	कुल्लू	16731	13882	13	6489	1595
7	लाहौल-स्पिति	1044	742	0	267	102
8	मण्डी	38925	35701	53	14589	9908
9	शिमला	28202	18085	15	9602	7542
10	सिरमौर	23303	14484	91	9128	4464

11	सोलन	21691	12040	36	8170	3901
12	ऊना	20256	9317	20	7614	3925
	योग	**266081**	**183430**	**507**	**101161**	**66063**

विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को निम्न व्यंजन प्रदान किए जा रहे हैं:-

क्र0सं0	लाभार्थी	व्यंजन का नाम
1.	बच्चे (6 मास से 3 वर्ष)	न्यूट्रीमिक्स-सप्ताह में तीन दिन (Take Home Ration) दलिया-सप्ताह में दो दिन (Take Home Ration)+ बिस्कुट खिचड़ी-सप्ताह में एक दिन (Take Home Ration)+ बिस्कुट
2.	बच्चे (3 वर्ष से 6 वर्ष)	न्यूट्रीमिक्स-सुबह का नाशता-सप्ताह में चार दिन मीठा बिस्कुट-सप्ताह में दो दिन **पक्का हुआ पोषाहार** दलिया-सप्ताह में दो दिन खिचड़ी-सप्ताह में दो दिन नमकीन दलिया-सप्ताह में एक दिन मीठा चावल- सप्ताह में एक दिन
3.	**अति कुपोषित बच्चे** बच्चे (6 मास से 3 वर्ष) बच्चे (3 वर्ष से 6 वर्ष)	न्यूट्रीमिक्स-सप्ताह में तीन दिन (Take Home Ration) दलिया-सप्ताह में दो दिन (Take Home Ration)+ बिस्कुट खिचड़ी-सप्ताह में एक दिन (Take Home Ration)+बिस्कुट न्यूट्रीमिक्स-(Take Home Ration as part of double diet) न्यूट्रीमिक्स- सुबह का नाश्ता-सप्ताह में चार दिन मीठा बिस्कुट- सप्ताह में दो दिन **पक्का हुआ पोषाहार** दलिया- सप्ताह में दो दिन मीठा चावल- सप्ताह में एक दिन खिचड़ी-सप्ताह में दो दिन नमकीन दलिया-सप्ताह में एक दिन न्यूट्रीमिक्स-(Take Home Ration as part of double diet)
4.	गर्भवती/धात्री मांताएं	दलिया-सप्ताह में दो दिन खिचड़ी-सप्ताह में दो दिन मीठा चावल-सप्ताह में एक दिन नमकीन दलिया-सप्ताह में एक दिन
5.	बी0पी0एल0 किशोरियां	खिचड़ी-सप्ताह में दो दिन मीठा दलिया-सप्ताह में चार दिन

विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2236-02-101-05-सी90एन/एस10एन और 2236-02-101-05-सी75एन/एस25एन में दर्शाए गए बजट एवं व्यय के आंकड़े पृष्ठ-5 पर क्रम संख्या 42, 43, 44 व 45 पर दिए गए हैं तथा ये आंकड़े व लेखाशीर्ष विशेष पोषाहार कार्यक्रम के है तथा सही हैं, परन्तु कट/कॉपी/पेस्ट में अनजाने से क्रम संख्या 44 व 45 पर विशेष पोषाहार कार्यक्रम (एस0एन0पी0) के लेखा शीर्ष के सामने विशेष पोषाहर योजना की जगह Integrated Child Protection Scheme लिखा गया।

समिति ने विभागीय उत्तर के अवलोकनोंपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त की।

4. <u>मूल सिफारिश संख्या -5</u>

मुख्य शीर्षः 2235-02-102-17-सी35एन-एकीकृत शिशु संरक्षण योजनाः

समिति सिफारिश करती है कि विभाग सुनिश्चित करे कि जब भी समिति को सूचना उपलब्ध करवाई जा रही हो, स्पष्ट हो। विभाग आंकड़ों में अन्तर बारे स्पष्टीकरण दें।

विभाग ने समिति को लिखित उत्तर द्वारा सूचित किया कि वर्ष 2014-15 के विरूद्ध वर्ष 2015-16 में एकीकृत शिशु संरक्षण योजना (ICPS) के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्ष 2235-02-102-17-C35N-Plan में बाल कल्याण समितियों तथा किशोर न्याय बोर्डो के संचालन हेतु मु0 189.86 लाख केन्द्रीय हिस्से के रूप बजट का आबंटन किया गया था। भारत सरकार से प्रथम किश्त के रूप में इस घटक के अन्तर्गत 38.91 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसका व्यय 31.12.2015 तक कर लिया गया था तथा वर्ष 2014-15 में आहरित मु0 179.39 लाख की राशि जोकि व्यय नहीं की जा सकी थी तथा जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए पूर्नः वैधिकरण कर दिया गया था को भी 31.03.2016 तक व्यय कर लिया गया था। क्योंकि यह राशि वर्ष 2014-15 के आबंटित बजट से आहरित की गई थी जिसे वर्ष 2015-16 के बजट में सम्मिलित नहीं किया जा सका है। इस प्रकार वर्ष 2014-15 में आबंटित बजट मु0 180.31 लाख की तुलना में वर्ष 2015-16 में आबंटित बजट जोकि मु0 189.86 लाख था। जबकि वर्ष 2015-16 के दौरान मु0 38.91 लाख+179.39 कुल 218.31 लाख का 31.3.2016 तक व्यय किया गया है जो कि आबंटित बजट से 28.44 लाख अधिक का व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त माननीय समिति को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन वित्तीय वर्षों में समस्त ज़िलों में बाल कल्याण समितियों व किशोर न्याय बार्डों के पूर्ण गठन न होने के कारण बजट आबंटन में अन्तर रहा है। इस योजना के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के लिए कुल मु0 2958.61 लाख केन्द्रीय हिस्से के रूप में मांग हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है जिसका विस्तृत ब्यौरा **अनुबन्ध (क)** पर संलग्न है।

समिति ने विभागीय उत्तर के अवलोकनोंपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त की।

5. <u>मूल सिफारिश संख्या -6</u>

मुख्य शीर्षः 2235-02-103-07-एस50एन-सबला(पोषाहार)

समिति सिफारिश करती है कि विभाग ने इस शीर्ष को बदलने हेतु कृत कार्रवाई तथा प्रदेश की कुल कितनी किशोरियों को लाभान्वित किया, की विस्तृत सूचना दी जाए।

विभाग ने लिखित उत्तर द्वारा सूचित किया कि विभाग द्वारा लेखाशीर्ष बदल दिया गया है और केन्द्र और राज्य के व्यय अनुपात जोकि 90:10 है, के अनुरूप लेखाशीर्ष खोले गए हैं। वर्ष 2015-16 में विभिन्न घटकों में लाभान्वित किशोरियां निम्न प्रकार हैं:-

- पूरक पोषाहार 102110
- स्वास्थ्य पोषाहार शिक्षा 145140

- स्वास्थ्य जांच 113327
- जीवन कौशल शिक्षा 2052
- सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच 7036
- परिवार कल्याण, बाल देख-रेख पद्वतियां एवं अर्ष पर परामर्श 117962
- व्यवसायिक प्रशिक्षण 396

समिति ने प्राप्त विभागीय उत्तर के अवलोकनोंपरान्त कृत कार्रवाई पर सन्तुष्टि व्यक्त की।

6. मूल सिफारिश संख्या - 8

मुख्य शीर्षः 2235-02-103-10-सी00एन-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनाः

समिति सिफारिश करती है कि वर्ष 2010-11 से 31.03.2016 तक इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना से कुल कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई, वर्षवार, केन्द्र से वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त धनराशि में से कितनी पिछली देनदारियां चुकानी हैं, मदवार विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाई जाए।

विभाग ने समिति को लिखित उत्तर द्वारा सूचित किया कि वर्ष 2010-11 से 31.03.2016 तक इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अन्तर्गत लाभान्वित महिलाओं की संख्या निम्न प्रकार से हैः-

- 2010-11 0
- 2011-12 4310
- 2012-13 1997
- 2013-14 3044
- 2014-15 4426
- 2015-16 5832

वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से 5,37,11,000 रूपए की धन राशि तथा राज्य सरकार से 22,46,000 रूपए की धन राशि प्राप्त हुई थी । इसके अतिरिक्त 1,50,60,498 की धन राशि पिछले वित्तीय वर्ष (2014-15) की शेष थी, इस प्रकार वर्ष 2015-16 में मु0 7,10,17,498 रूपए की राशि विभाग के पास उपलब्ध थी जिसमें से 31.03.2015 तक की पिछले वर्षों की देनदारियों पर निम्न विवरणानुसार व्यय किया गयाः-

- लाभार्थियों को सशर्त नगद हस्तांतरण पर व्यय 3,05,17,500
- अन्य मदों पर पिछली देनदारियां 0
- कुल पिछली देनदारियां जिनका भुगतान 2015-16 में किया गया 3,05,17,500

वर्ष 2014-15 तक इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना थी। वर्ष 2015-16 से राज्य की भागीदारी 10 प्रतिशत हुई है।

समिति ने विभागीय उत्तर के अवलोकनोंपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त की।

7. **मूल सिफारिश संख्या - 9**

मुख्य शीर्षः 2235-02-103-11-सून-बलात्कार की शिकार को सहायता सेवाएंः

समिति सिफारिश करती है कि प्रदेश में बलात्कार की शिकार महिलाओं को दी जाने वाली सेवाएं व ज़िलावार लाभार्थियों के विस्तृत ब्यौरे से अवगत होना चाहेगी।

विभाग ने समिति को लिखित उत्तर द्वारा सूचित किया कि प्रदेश में बलात्कार की शिकार महिलाओं को पहली किश्त के रूप में 25000/-रू0 की अन्तरिम राहत राशि प्रदान की जाती है, यदि 6 माह तक कोई फैसला नहीं होता तो 25000/-रू0 सहायता राशि महिला के मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा, कानूनी सहायता, परामर्श, शिक्षा व व्यवसायिक प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है व 25000/-रू0 की अन्तिम किश्त महिला के ब्यान देने के एक माह के भीतर अथवा फैसला होने पर या प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के एक वर्ष के भीतर दी जाएगी।

क्र0 सं0	ज़िला	वर्ष	बलात्कार से पीड़ित महिलाओं की संख्या	सेवा का प्रकार
1.	सोलन	2014-15	14	9 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0-2,25,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 3 मामलों में सहायक सेवाओं द्वारा मु0-75,000/-रू0 व 1 मामले में मु0-50,000/-रू0 की अन्तिम किश्त प्रदान की गई। एक को मृत्यू उपरान्त मु0-25,000/-रू0 की राशि प्रदान की गई।
		2015-16	23	4 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0-1,00,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 8 मामलों में सहायक सेवाओं द्वारा मु0-2,00,000/-रू0 व 11 मामलों में मु0-2,75,000/-रू0 की अन्तिम किश्त प्रदान की गई।
2.	कुल्लू	2014-15	46	15 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 3,75,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 3 मामलों में सहायक सेवाओं द्वारा मु0-75,000/- रू0 व 28 मामलों में मु0-7,00,000/-रू0 की अन्तिम किश्त प्रदान की गई।
		2015-16	67	22 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 5,50,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 29 मामलों में सहायक सेवाओं द्वारा 7,25,000/-रू0 व 16

				मामलों में मु0-4,00,000/-रू0 की अन्तिम किश्त प्रदान की गई।
3	मण्डी	2014-15	52	42 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 10,50,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई, तथा 10 मामलों में सहायक सेवाओं द्वारा 2,50,000/- रू0 प्रदान की गई।
		2015-16	24	22 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 5,50,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 2 मामलों में सहायक सेवाओं द्वारा मु0-50,000/-रू0 सहायता राशि प्रदान की गई।
4.	शिमला	2014-15	33	33 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 8, 25,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 28 मामलों में सहायक सेवाओं द्वारा मु0-7,00,000/-रू0 सहायता राशि प्रदान की गई।
		2015-16	31	31 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 7, 75,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई।
5.	चम्बा	2014-15	7	7 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 1,75,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 7 मामलों में सहायक सेवाओं द्वारा मु0-1, 75,000/-रू0 व 6 मामलों में मु0-1, 50,000/-रू0 की अन्तिम किश्त प्रदान की गई।
		2015-16	7	7 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 1,75,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 7 मामलों में सहायक सेवाओं द्वारा मु0-1,75,000/-रू0 व 4 मामलों में मु0-1,00,000/-रू0 की अन्तिम किश्त प्रदान की गई।
6.	किन्नौर	2014-15	9	बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 2,25,000 रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई।
		2015-16	7	बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 1, 75,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई।
7	सिरमौर	2014-15	19	2 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 50,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 17 मामलों में मु0-4, 25,000/-रू0 की अन्तिम किश्त प्रदान की गई।
		2015-16	20	10 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 2, 25,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम

				से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 8 मामलों में सहायक सेवाओं द्वारा मु0-2,00,000/-रू0 व 2 मामलों में मु0-50,000/-रू0 अन्तिम किश्त प्रदान की गई।
8	ऊना	2014-15	16	16 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 4,00,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 7 मामलों में सहायक सेवाओं द्वारा मु0-1,75,000/-रू0 व 4 मामलों में मु0-1,00,000/-रू0 की अन्तिम किश्त प्रदान की गई।
		2015-16	16	16 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 4,00,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 7 मामलों में सहायक सेवाओं द्वारा मु0-1,75,000/-रू0 व 4 मामलों में मु0-1,00,000/-रू0 की अन्तिम किश्त प्रदान की गई।
9	हमीरपुर	2014-15	17	17 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 4, 25,000/- रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 15 मामलों में सहायक सेवाओं द्वारा मु0- 3,75,000/-रू0 व 4 मामलों में मु0-1,00,000/-रू0 की अन्तिम किश्त प्रदान की गई।
		2015-16	4	4 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 1,00,000/- रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 1 मामले में सहायक सेवाओं द्वारा मु0-25,000/-रू0 की किश्त प्रदान की गई।
10	बिलासपुर	2014-15	23	20 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 5,00,000/- आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 3 मामलों में सहायक सेवाओं द्वारा मु0-75,000/-रू0 की किश्त प्रदान की गई।
		2015-16	13	9 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 2, 25,000/- रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 4 मामलों में सहायक सेवाओं द्वारा मु0-1,00,000/-रू0 की अन्तिम किश्त प्रदान की गई।
11	लाहौल-स्पिति	2014-15	2	1 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 25,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई तथा 1 मामला विचाराधीन है।
		2015-16	0	------
12	कांगड़ा	2014-15	9	बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 6,75,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई ।

		2015-16	18	16 बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को मु0 8,00,000/-रू0 आर्थिक अनुदान के माध्यम से दूसरी किश्त व 2 मामलों में अन्तरिम राहत राशि मु0 50,000/-रू0 प्रदान की गई।
		कुल	**477**	**1,51,00,000**

समिति ने प्राप्त विभागीय उत्तर के अवलोकनोंपरान्त कृत कार्रवाई पर सन्तुष्टि व्यक्त की ।

8. <u>मूल सिफारिश संख्या -10</u>

मुख्य शीर्षः 2235-02-103-12-सून-महिलाओं की नैतिक आचार के बचाव के लिए वैकल्पिक अवसर हेतु स्कीमः

समिति सिफारिश करती है कि महिलाओं की नैतिक आचार के बचाव हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्या-क्या कदम उठाने की योजना बनाई है, जिन 520 महिलाओं को प्रशिक्षण देना है उनका चयन सर्वेक्षण पश्चात किया है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 की क्या उपलब्धियां रही, विस्तृत ब्यौरे से समिति अवगत होना चाहेगी।

विभाग ने समिति को लिखित उत्तर द्वारा सूचित किया कि महिलाओं के नैतिक आचार के बचाव के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में विशेष महिला उत्थान के अन्तर्गत वस्त्र बनाने, कम्पयूटर सिखाने, बेकी पदार्थ बनाने एवं अचार, नमकीन बनाने बेसिक इलैक्ट्रोनिक्स तथा फैब्रिकेशन सैक्टर में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह योजना पहले धर्मशाला, शमशी, गंगथ, सोलन, नाहन, नालागढ़, बिलासपुर, ऊना, मण्डी व ठियोग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चलाई जा रही थी सरकार द्वारा सोलन के बद्दी, ज़िला सिरमौर के पाँवटा साहिब व शिमला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भ किया जा रहा है। यह योजना कांगड़ा, कुल्लू, सोलन, सिंरमौर, बिलासपुर, ऊना, मण्डी व शिमला ज़िला में चलाई जा रही है। ज़िला चम्बा, हमीरपुर, किन्नौर व लाहौल स्पिति में यह योजना प्रारम्भ नहीं की गई है। ज़िलावार ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्र0सं0	ज़िला	वर्ष	महिला की संख्या	प्रशिक्षण का प्रकार	महिला विकास निगम द्वारा कितनी महिलाओं को ऋण की सुविधा प्रदान की गई			
					लक्ष्य		उपलब्धि	
					भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	सोलन	2013-14	18	गारमेंट बनाने हेतु	52	41.60	52	41.00
		2014-15	18	गारमेंट बनाने हेतु	40	32.00	45	38.78
		2015-16	33	गारमेंट बनाने हेतु	40	32.00	43	36.90
		2016-17 प्रशिक्षणाधीन	42	गारमेंट बनाने हेतु	---			
2	कुल्लू	2013-14	77	गारमेंट बनाने हेतु, बेसिक ब्यूटी पार्लर, कम्पयूटर	39	31.20	51	33.50

		2014-15	76	गारमेंट बनाने हेतु, बेसिक ब्यूटी पार्लर, कम्पयूटर	30	24.00	28	23.20
		2015-16	170	गारमेंट बनाने हेतु, बेसिक ब्यूटी पार्लर, कम्पयूटर	30	24.00	36	33.80
		2016-17 प्रशिक्षणाधीन	73	गारमेंट बनाने हेतु,	--	-	-	-
3	मण्ड़ी	2013-14	0	0	98	78.40	96	70.00
		2014-15	0	0	75	60.00	90	75.65
		2015-16	0	0	75	60.00	77	69.35
		2016-17 प्रशिक्षणाधीन	25	कटाई व सिलाई	------			
4	शिमला	2013-14	0	0	75	60.00	43	34.50
		2014-15	0	0	58	46.40	48	42.85
		2015-16	0	0	58	46.40	57	52.10
		2016-17 प्रशिक्षणाधीन	38	सिलाई प्रशिक्षण	------			
5	चम्बा	2013-14	0	0	52	41.60	66	33.45
		2014-15	0	0	40	32.00	34	33.65
		2015-16	0	0	40	32.00	61	53.90
		2016-17 प्रशिक्षणाधीन	0	0	------			
6	किन्नौर	2013-14	0	0	07	5.60	1	1.00
		2014-15	0	0	05	4.00	---	---
		2015-16	0	0	05	4.00	---	---
		2016-17 प्रशिक्षणाधीन	0	0				
7	सिरमौर	2013-14	13	कपड़ों की सिलाई	39	31.20	42	34.45
		2014-15	19	कपड़ों की सिलाई	30	24.00	27	27.70
		2015-16	0	0	30	24.00	36	31.25
		2016-17 प्रशिक्षणाधीन	0	0	-------			
8	ऊना	2013-14	0	0	52	41.60	22	14.00
		2014-15	0	0	40	32.00	28	23.00
		2015-16	40	सिलाई एवं कटाई	40	32.00	31	19.50
		2016-17 प्रशिक्षणाधीन	40	सिलाई एवं कटाई	------			
9	हमीरपुर	2013-14	0	0	52	41.60	44	31.30
		2014-15	0	0	40	32.00	48	41.55
		2015-16	0	0	40	32.00	40	38.10
		2016-17 प्रशिक्षणाधीन	0	0	-----			
10	बिलासपुर	2013-14	0	0	39	31.20	40	24.80
		2014-15	0	0	30	24.00	46	43.80
		2015-16	40	सिलाई एवं कटाई-20, कढ़ाई-20	30	24.00	51	48.50
		2016-17 प्रशिक्षणाधीन	40	सिलाई एवं कटाई-20, कढ़ाई-20	-------			
11	लाहौल-स्पिति	2013-14	0	0	02	1.60	1	1.00
		2014-15	0	0	02	1.60	4	4.00
		2015-16	0	0	02	1.60	---	---

		2016-17 प्रशिक्षणाधीन	0	0	-------			
12	कांगड़ा	2013-14	67	गारमेंट बनाने हेतु	143	114.40	78	42.00
		2014-15	56	गारमेंट बनाने हेतु	110	88.00	105	49.80
		2015-16	29	गारमेंट बनाने हेतु	110	88.00	86	55.30
		2016-17 प्रशिक्षणाधीन	0	0	-------			
		कुल	**914**		**1650**	**1320**	**1557**	**1203.68**

समिति ने विभागीय उत्तर के अवलोकनोंपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त की।

9. मूल सिफारिश संख्या -11

समिति सिफारिश करती है कि महिला विकास निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-2016 की अवधि में कुल कितनी महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया, सूचना ज़िलावार उपलब्ध करवाई जाए।

विभाग ने समिति को लिखित उत्तर द्वारा सूचित किया कि प्रबन्ध निदेशक, महिला विकास निगम, कल्याण भवन, सोलन, ज़िला सोलन, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त उत्तर **अनुबन्धक-ख** पर संलग्न है।

समिति ने प्राप्त विभागीय उत्तर के अवलोकनोंपरान्त कृत कार्रवाई पर सन्तुष्टि व्यक्त की ।

10. मूल सिफारिश संख्या -12

समिति ने जानना चाहा था कि मु0-35,000/-रूपए वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाने हेतु उचित कदम उठाए व वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 में (31.12.2015 तक) कुल लाभान्वितों की ज़िलावार सूचना उपलब्ध करवाई जाए।

विभाग ने समिति को लिखित उत्तर द्वारा सूचित किया कि मु0-35000/-रूपए वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाने हेतु उचित पग उठाने बारे निवेदन है कि सरकार द्वारा ज़ारी अधिसूचनानुसार उक्त आय की सीमा में बढ़ौतरी 01-04-2014 से की जा चुकी है। वार्षिक आय की सीमा में बढ़ौतरी नीतिगत मामला है। अतः निर्णय सरकार स्तर पर लिया जाना है व वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 में 31.12.2015 तक कुल लाभान्वितों कि ज़िलावार संकलित सूचना **अनुबन्ध-ग**-पर संलग्न है।

समिति ने प्राप्त विभागीय उत्तर के अवलोकनोंपरान्त कृत कार्रवाई पर सन्तुष्टि व्यक्त की।

11. मूल सिफारिश संख्या -13

समिति सिफारिश करती है कि गत तीन वर्षों में जो सुनवाई की बैठकें आयोजित की थी उनमें कुल कितने मामलों को निपटारा किया गया । सूचना ज़िलावार उपलब्ध करवाई जाए।

विभाग ने समिति को लिखित उत्तर द्वारा सूचित किया कि सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश महिला आयोग, हिमरस बिल्डिंग, शिमला-1, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त उत्तर **अनुबन्ध-घ** पर संलग्न है।

समिति ने प्राप्त विभागीय उत्तर के अवलोकनोंपरान्त कृत्त कार्रवाई पर सन्तुष्टि व्यक्त की।

अध्याय-II

सिफारिशें

मूल सिफारिश संख्या:7

मुख्य शीर्ष: 2235-02-103-09-COON-सबला(गैर-पोषाहार):

समिति सिफारिश करती है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में गत वर्ष की निर्गत धनराशि को अपीयर न करने व वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए केन्द्र सरकार को प्रेषित प्रस्ताव की भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए।

विभाग ने समिति को लिखित उत्तर द्वारा सूचित किया कि सबला गैर पोषाहार घटक में वर्ष 2015-16 व 2016-17 में निदेशालय महिला एवं बाल विकास को राज्य व केन्द्र सरकार से उपलब्ध धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष 2014-15 की शेष राशि	2015-16 वर्ष 2015-16 में निहित राशि			वर्ष 2015-16 में कुल उपलब्ध राशि	(रूपए लाखों में)	
	भारत सरकार द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	कुल राशि		वास्तविक व्यय	विवरण
52.15	47.36	5.26	52.62	104.77	49.33	मु0 52.62/-लाख रूपए केन्द्र तथा राज्य सरकार से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में प्राप्त हुए जिसे सरकार की स्वीकृति उपरान्त ज़िला कार्यक्रम अधिकारियों को उपभोग हेतु मार्च, 2016 में आबंटित किया गया।

वर्ष 2016-17 में गैर पोषाहार मद में भारत सरकार से 59.54 लाख रूपए की राशि दिनांक 8.8.2016 को मांगी गई है, जिसमें से फरवरी 2017 तक मु0-31.22/- लाख रूपए प्राप्त हुए हैं।

समिति विभागीय उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई ।

पुनः सिफारिश

वर्ष 2014-15 के पूर्व में दिये गये उत्तर में कुल बजट प्रावधान 87.34 लाख रूपये थे और वास्तविक व्यय भी 87.34 लाख रूपये किया गया तो वर्तमान में प्रेषित उत्तर में वर्ष 2014-15 में शेष राशि 52.15 लाख रूपये किस आधार पर दिखाई गई है और वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु शेष राशि मु0 55.44 लाख रूपये का क्या किया गया, पूर्ण विवरण दें?

ANNEXURE

COMPONENT-WISE INFORMATION ON FINANCIAL PROPOSAL UNDER INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME FOR 2016-2017

NAME OF THE DEPARTMENT :-DIRECTORATE OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT,CEDAR HOME,BRENT WOOD ESTATE, HIMLAND SHIMLA-1 (H.P.)

(Rs. In Trs.)

S.No.	COMPONENT	Non-recurring Expenditure	Recurring Expenditure	Total	Central Share @ 90%	State Share @ 10%	NGO Share @ 10%
1	State Child Protection Society [SCPS]	-	103 08 000	103 08 000	92 77 200	10 30 800	-
2	State Adoption Resource Agency[SARA]	-	15 75 000	15 75 000	14 17 500	1 57 500	-
3	District Child Protection Units(DCPUs)-12 Districts	42 00 000	686 04 000	728 04 000	655 23 600	72 80 400	-
4	Govt.Children Homes i.e (10)	155 20 000	362 12 160	517 32 160	465 58 944	51 73 216	-
5	Construction of Govt.Children Home at Mashobra(Shimla) Himachal Pradesh	805 48 000	-	805 48 000	724 93 200	80 54 800	
6	NGO Homes i.e (16)	312 75 000	462 94 800	775 69 800	698 12 820	-	77 56 980
7	Shelter Home i.e Open Shelters Shimla, Solan and Kangra (3)	10 10 000	59 97 600	70 07 600	63 06 840	-	7 00 760
8	NGO run Specialized Adoption Agency [SAAs]	2 35 000	15 50 000	17 85 000	16 06 500	-	1 78 500
9	Maintenance of Child Welfare Committee [CWCs]14	2 05 000	151 20 000	153 25 000	137 92 500	15 32 500	-
10	Maintenance of- Juvenile Justice Board (JJBs) 12	-	100 80 000	100 80 000	90 72 000	10 08 000	-
	TOTAL	1329 93 000	1957 41 560	[illegible]	2958 61 104	[illegible]	[illegible]

Non- Recurring Expenditure	1329 93 000
Recurring Expenditure	1957 41 560
Total	[illegible]
State Share @ 10%	242 37 216
Central Share @ 90%	2958 61 104
NGO Share @10%	86 36 240
Total	[illegible]

Note:- State has already requested vide letter No. WCD-SCPS-(C)-3/12-VOL-I-2716 dated 05/02/2016 (copy enclosed) regarding additional allocation of funds Rs. 409.38 (lakh) may kindly be sanctioned to the State as to overcome the "Outstanding Liabilities" under the the scheme namely "Integrated Child Protecion Scheme"(ICPS) for the previous year 2014-15, so that smooth implementation of ICPS Programme may be insured.

अनुबन्ध-रठ

हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम , सोलन ।

हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम द्वारा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 के दौरान लाभान्वित की गई महिलाओं का जिलावार ब्यौरा :–

(रू0 लाखों में)

क्रम सं0	जिले के नाम	वर्ष 2013-14				वर्ष 2014-15				वर्ष 2015-16				कुल उपलब्धि	
		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि			
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	बिलासपुर	39	31.20	40	24.80	30	24.00	46	43.80	30	24.00	51	48.50	137	117.10
2	चम्बा	52	41.60	66	33.45	40	32.00	34	33.65	40	32.00	61	53.90	161	121.00
3	हमीरपुर	52	41.60	44	31.30	40	32.00	48	41.55	40	32.00	40	38.10	132	110.95
4	कांगडा	143	114.40	78	42.00	110	88.00	105	49.80	110	88.00	86	55.30	269	147.10
5	किन्नौर	07	5.60	1	1.00	05	4.00	–	—	05	4.00	–	—	1	1.00
6	कुल्लू	39	31.20	51	33.50	30	24.00	28	23.20	30	24.00	36	33.80	115	90.50
7	लाहौल स्पिति	02	1.60	1	1.00	02	1.60	4	4.00	02	1.60	—	–	5	5.00
8	मण्डी	98	78.40	96	70.00	75	60.00	90	75.65	75	60.00	77	69.35	263	215.00
9	सिरमौर	39	31.20	42	34.45	30	24.00	27	26.70	30	24.00	36	31.25	105	92.40
10	शिमला	75	60.00	43	34.50	58	46.40	48	42.85	58	46.40	57	52.10	148	129.45
11	सोलन	52	41.60	52	41.00	40	32.00	45	38.78	40	32.00	43	36.90	140	116.68
12	उना	52	41.60	22	14.00	40	32.00	28	23.00	40	32.00	31	19.50	81	56.50
		650	**520.00**	**536**	**361.00**	**500**	**400.00**	**503**	**402.98**	**500**	**400.00**	**518**	**438.70**	**1557**	**1202.68**

अनुबन्ध "ग"

...फारिश नुसार मु0 35,000/– रूपये वार्षिक आय की सीमा योजनाओं का वित्तीय ...4 ,2014–15 व 2015–16 में 31.12.2015 तक कुल लाभान्वितों का जिलावार विवरणः–

...ठेरेसा मातृ सम्बल योजना

		लाभान्वितों की वष बार संख्या		
...क	जिले का नाम	2013–14	2014–15	2015–16 (31.12. 2015 तक)
1	कांगड़ा	3366	3924	3509
2	हमीरपुर	1459	1452	1536
3	शिमला	0	0	0
4	किन्नौर	1920	1918	2313
5	कुल्लू	1322	1220	1274
6	सोलन	1118	1202	1250
7	बिलासपुर	1082	966	1032
8	चम्बा	1474	1481	1401
9	सिरमौर	1935	1931	1831
10	ऊना	1627	1627	1627
11	मण्डी	4050	4265	2852
12	लाहौल स्पिति	43	48	42
	योगः–	**19396**	**20034**	**18667**

समिति के सिफारिश नुसार मु0 35,000/– रूपये वार्षिक आय की सीमा योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2013–14 ,2014–15 व 2015–16 में 31.12.2015 तक कुल लाभान्वितों का जिलावार विवरणः–

धः– महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार योजना

		लाभान्वितों की वष बार संख्या		
कमांक	जिले का नाम	2013–14	2014–15	2015–16 (31.12. 2015 तक)
1	कांगड़ा	19	0	32
2	हमीरपुर	8	20	19
3	शिमला	63	32	32
4	किन्नौर	0	4	4
5	कुल्लू	0	20	20
6	सोलन	4	20	0
7	बिलासपुर	50	20	20
8	चम्बा	0	20	20
9	सिरमौर	17	32	16
10	ऊना	32	32	32
11	मण्डी	30	32	16
12	लाहौल स्पिति	0	0	0
	योगः–	**223**	**232**	**211**

अनुबन्ध "ग"

सिफारिश नुसार मु0 35,000/– रूपये वार्षिक आय की सीमा योजनाओं का वित्तीय 14 ,2014–15 व 2015–16 में 31.12.2015 तक कुल लाभान्वितों का जिलावार विवरणः–

टेरेसा मातृ सम्बल योजना

क्रमांक	जिले का नाम	लाभान्वितों की वष बार संख्या		
		2013–14	2014–15	2015–16 (31.12. 2015 तक)
1	कांगड़ा	3366	3924	3509
2	हमीरपुर	1459	1452	1536
3	शिमला	0	0	0
4	किन्नौर	1920	1918	2313
5	कुल्लू	1322	1220	1274
6	सोलन	1118	1202	1250
7	बिलासपुर	1082	966	1032
8	चम्बा	1474	1481	1401
9	सिरमौर	1935	1931	1831
10	ऊना	1627	1627	1627
11	मण्डी	4050	4265	2852
12	लाहौल स्पिति	43	48	42
	योगः–	**19396**	**20034**	**18667**

समिति के सिफारिश नुसार मु0 35,000/– रूपये वार्षिक आय की सीमा योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2013–14 ,2014–15 व 2015–16 में 31.12.2015 तक कुल लाभान्वितों का जिलावार विवरणः–

घः– महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार योजना

क्रमांक	जिले का नाम	लाभान्वितों की वष बार संख्या		
		2013–14	2014–15	2015–16 (31.12. 2015 तक)
1	कांगड़ा	19	0	32
2	हमीरपुर	8	20	19
3	शिमला	63	32	32
4	किन्नौर	0	4	4
5	कुल्लू	0	20	20
6	सोलन	4	20	0
7	बिलासपुर	50	20	20
8	चम्बा	0	20	20
9	सिरमौर	17	32	16
10	ऊना	32	32	32
11	मण्डी	30	32	16
12	लाहौल स्पिति	0	0	0
	योगः–	**223**	**232**	**211**

हिमाचल प्रदेश

सदस्य सचिव

हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग, हिमरस भवन
सर्कुलर रोड़, शिमला–171 001.
दूरभाष संख्या: 0177.2622929 & 2627171

संख्या:– एच0पी0 / एस0सी0डब्लयू / 1–5 / 98– 2649 दिनांक 4-3-2017

समयबद्ध / विधान सभा प्रश्न

सेवा मे

~~उप~~– निदेशक,
महिला एवं बाल विकास,
हिमाचल प्रदेश ।

विषय:– मांग संख्या : 19 सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के अर्न्तगत महिला एंव बाल विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 की अनुदान मागों पर अधारित कल्याण समिति का 25 वां प्रतिवेदन(बारहवीं विधान सभा)(2015–16) पर अग्रिम कार्यवाई हेतु।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या– 6–36 / 2007 – डब्ल्यू0 सी0 डी0 –आर0टी0 आई0 दिनॉक 28–2–2017 के अनुसार हिमाचल प्रदेश महिला आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–2015 एंव 2015–16 मे गत तीन वर्षो में जो सुनवाई की बैठकें आयोजित की थी उनमे जिलावार निपटाये गये मामलों के सन्दर्भ मे है, से सम्बन्धित इस आयोग की सूचना संलग्न है ।

भवदीया,

सदस्य सचिव

अनुबन्ध 'क'

वर्ष 2013-2014, 2014-15 व 2015-2016 में निपटाये गये मामले

क्र.सं.	जिला का नाम	2013-2014 में निपटाये गये मामले	2014-2015 में निपटाये गये मामले	2015-2016 में नि गये मामले
1.	बिलासपुर	27	36	18
2.	चम्बा	3	15	9
3.	हमीरपुर	22	36	62
4.	कांगड़ा	49	72	44
5.	किन्नौर	5	11	15
6.	कुल्लू	17	32	28
7.	लाहौल एवं स्पिति	-	-	2
8.	मण्डी	62	87	78
9.	शिमला	177	229	179
10.	सिरमौर	15	25	27
11.	सोलन	46	67	75
12.	ऊना	12	15	11
	कुल योग	435	625	548